

फर्द अहकाम

श्रीमती बनाम युवा  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)  
 प्रकरण संख्या ..... 84 / 2023 90 पृष्ठ

| क. संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से  |
|-----------|---------------------------|---|
|           | 18 07 25                  | <p>पत्रावली पेशा जाचिया भी बोट के बने उपलब्ध नही। अजावली अध्यापिका। न्यायालय समय के दौरान बार-बार आवाज लगावते है बाद भी जाचिया भी बोट के बने उपलब्ध नही काने के कारण जाचिया का अर्जना पत्र 15 व 16 अक्षर होजरी एवं अक्षर पैठ में अक्षर किया जाता है पत्रावली कौन सुमार होकर एक नंबर है कम है बाद जाचिया उपलब्ध है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी<br/>                 पावटा जिला-कोटपूतली बहरोड़</p> |